3.6.2015 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प-पचपदरा में पेश हुई।

पक्षकारान उपस्थित।

वादीगण ने मौजा मानाना में स्थित भूमि खसरा नं. 77, 78, 80 कुल रकबा 121 बीघा 09 बिस्वा में 1/4 हिस्से = 30 बीघा 07 बिस्वा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा करवाया करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 12 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश कर बंटवारा हेतु सहमति प्रदान की। जमाबंदी खतौनी में वादीगण सह खातेदार की हैसियत से दर्ज है, रेकर्ड में बंटवारा होना प्रतीत नहीं हो रहा है। राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करना न्यायोचित होने से वादी का वाद पक्ष स्वीकार कर खेत खसरा नं. 77, 78, 80 कुल रकबा 121 बीघा 09 बिस्वा मौजा मानाना का विभाजन प्रस्ताव भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा से मंगवाया जाना है। भूमि धारक को निर्देश दिये जाते हैं कि वो बाई मिट्स एण्ड मिट्स भूमि का विभाजन प्रस्ताव आवागमन के बिन्दु को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करें।

प्राथमिक डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसला शुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो।

3/6/15

(उदयभानु चारण)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत-201
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प

6-2-17

पत्रावली आज माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर से जरिये पत्रांक 486 दिनांक 1-2-17 के मय निर्णय प्राप्त हुई। न्यायालय के आदेश दिनांक 20-1-17 के इस न्यायालय के आदेश दिनांक 3-6-15 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रेषित किया ...